

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
 बिहार शहरी विकास अभिकरण,
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
 नगर निगम, पूर्णियाँ।
 कार्यपालक अभियंता,
 जिला शहरी विकास अभिकरण,
 पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक- 24/10/18

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निधि अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2018-19 के
 ग्रुप सं०-59 के कार्य वार्ड संख्या-14 में नगर निगम पथ थाना चौक से आर०एन०साह चौक
 का मरम्मत कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियाँ का पत्रांक-227 दिनांक-23.08.2018
 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित निविदा हेतु तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त
 एकल निविदाकार के डाउनलोडेड निविदा कागजात के समीक्षोपरान्त मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची
 निम्नवत् है:-

ग्रुप सं०	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण।)	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं के अनुपालन नहीं करने के कारण)
59.	वार्ड संख्या-14 में नगर निगम पथ थाना चौक से आर०एन०साह चौक का मरम्मत कार्य।	(1) श्री सोहन कुमार राय (उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर।)	(1) श्री भरत भूषण (उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर।) कंडिका 17-4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (वांछित सभी यंत्र-संयंत्र का कागजात अपलोड नहीं रहने के कारण) (2) श्री आरती कुमारी (उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर।) कंडिका 17-2(क), (ग) एवं (घ) तथा 17-4(ड) एवं (च) अनुपालन नहीं करने के कारण। (निबंधन, पैन कार्ड, GST तथा यंत्र-संयंत्र का कागजात संलग्न नहीं रहने के कारण)

उक्त तीन निविदाकारों में से एकमात्र निविदाकार की निविदा ही मान्य रहने के कारण पथ
 निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-3162(S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में निविदा रद्द करते हुए
 पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाय।

मान्य/अमान्य निविदाकारों को यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे इस कार्यालय में तीन
 दिनों के अन्दर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
 बिहार शहरी विकास अभिकरण,
 नगर विकास एवं आवास विभाग

